

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

ताराचन्द्र बनाम गिरधारी

किस्म मुकदमा RTA 223 मु. नं० 119 वर्ष 2022

दिनांक	आज्ञा पत्र
--------	------------

24.8.22 अपील धारा-5 पर सिविल सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हो। रेसपो. के रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। तहत का रिकार्ड तलब हो पत्रावली वारले तलबी दिनांक 27.10.22 को पेश हो।

29.10.22 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आ. न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूरा आज्ञानसाथ दिनांक 12.12.22 को पेश हो

12.12.22 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आ. न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूरा आज्ञानसाथ दिनांक 11.01.23 को पेश हो

11.01.23 पत्रावली पेश। वकली अपीलान्ट एवं अपीलाट स्वय को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बादजुद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरुप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारेज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तशतीब तकमील दाखिल दफतर हो!

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर (कैम्प इन्डियन)

